न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00138 RAAJodhpur2019-74RTA223 Sumersingh etc Vs Aidansingh etc

01. सुमेरसिंह
02. हुकमसिंह
03. दिलीपसिंह
04. गोपालसिंह
05. हरिसिंह
06. गुलाब कंवर पिसरान् उम्मेदसिंह जाति राजपूत, निवासीगण- चौहानों की ढाणी, रिडमलसर, तहसील फलोदी, वर्तमान औसियां, जिला जोधपुर।
07. पन्नेसिंह
08. स्वरूपसिंह पिसरान् प्रेमसिंह
09. मगसिंह पुत्र खुशालसिंह
10. पप्पुसिंह पुत्र खुशालसिंह
11. छोटूकंवर पत्नी खुशालसिंह
12. उम्मेदकंवर पत्नी धन्नेसिंह
13. भीखसिंह गोदपुत्र धन्नेसिंह
14. बच्चूकंवर पुत्री मूलसिंह
15. सवाईसिंह पुत्र आनन्दसिंह उर्फ अनन्दसिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- चौहानों की ढाणी, रिडमलसर, तहसील फलोदी वर्तमान औसियां, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

न

म

1. आईदानसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम चाडी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
2. पुखराज पुत्र श्री धुड़ाराम जाति जोशी, निवासी- मानेवड़ा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा पुनासर, जरिये शाखा प्रबंधक ।
4. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर औसियां निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2019 राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद संख्या 01/2018 आईदानसिंह बनाम सुमेरसिंह इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री ओमप्रकाश राठी, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 04

नि र्ण य

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 01/2018 आईदानसिंह बनाम सुमेरसिंह इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 15 जुलाई 2019 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम चौहानों की ढाणी बेरा, पटवार क्षेत्र रिडमलसर तहसील फलोदी में खसरा नं. 983 रकबा 120 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें वादी का 1/7 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्से के मूल खातेदार सोहनसिंह व मालमसिंह पिसरान प्रेमसिंह ने अपना संपूर्ण 1/7 हिस्सा चम्पादेवी पत्नी उम्मेदाराम जाट निवासी- खारिया, फलोदी को विक्रय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दिया था जो विक्रय विलेख दिनांक 19.07.2007 को निष्पादित किया गया। चम्पादेवी द्वारा उक्त भूमि दिनांक 31.03.2011 को वादी आईदानसिंह पुत्र जालमसिंह को विक्रय कर दी। वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8,10,11,13,15 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह राठौड़ एवं भंवरसिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा प्राथमिक डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार फलोदी से बाई मिट्स बाउण्ड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर तलब करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 25.06.2018 को अंतिम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि होने के कारण अपीलांट को अपने पूर्वजों की भूमि को अकेले को बेचने का अधिकार नहीं है, जिससे भी बैचान ऐब इनिशियो वॉइड बेचान होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष वादग्रस्त भूमि का दावा एवं सलंग्न प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया तथा उपरोक्त दावे में पक्षकारान् के सुनवाई के दौरान उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी से हस्तांतरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ओसियां को होने पर सहायक कलक्टर ओसियां द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को व अन्य पक्षकारान् को विधिवत एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत वाद के सुनवाई हेतु सूचना न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित था, जो भी नहीं देकर केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की तथा प्रारम्भिक डिक्री के दौरान तहसीलदार बापिणी के द्वारा बिना विभाजन किये एवं वादग्रस्त भूमि पर मौके पर गये बिना ही विभाजन प्रस्ताव को एकतरफा तैयार कर अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना ही विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो सरासर गलत एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट्स के हिस्से की भूमि जिसमें अपीलांट के ट्यूबवेल खुदे हुए है, रेस्पोडेंट संख्या एक ने मिलीभगत कर बाले-बाले विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा उक्त जमीन अपने हिस्से में रख ली तथा अपीलांट के आवागमन का रास्ता बंद कर दिया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2019 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बापिणी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे-काश्त अनुसार तैयार किया गया के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं कर भू-अभिलेख निरीक्षक आउ एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा तहसीलदार बापीणी द्वारा उस पर काउंटर हस्ताक्षर किये जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 01/2018 आईदानसिंह बनाम सुमेरसिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/2/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर